फर्द अहकाम

देवकरण बनाम हनुमान सिंह

न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

136/2025 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/12/25	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 6/2/26 को पेश हो। (रीडर)	
6/2/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य..................है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 12/3/26 को पेश हो। (रीडर)	
12/3/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 30/4/26 को पेश हो। (रीडर)	
30/4/26	पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज लगाने पर भी वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदमपैरवी, अदमहाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

Reader to report

11/2024/229

न्यायालय :—सहायक कलेक्टर—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

राजस्व वाद सं0—136/2024

देवकरण पुत्र भगवाना, जाति गुर्जर, उम्र—वयस्क, निवासी पीपलोद नाथू, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

—वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र खांगा
2. सुवालाल पुत्र खांगा
3. रामकुवार पुत्र खांगा
4. गिरधारी पुत्र खांगा
5. रामचन्द्र पुत्र हनुमान
6. रामजीलाल पुत्र हनुमान
7. मुकेश पुत्र हनुमान
8. हरिराम पुत्र सुवालाल
9. मामराज पुत्र सुवालाल

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी पीपलोद नाथू, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर(राज0)

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

—प्रतिवादीगण

11. जयराम दत्तक पुत्र गिरधारी, जाति गुर्जर, निवासी धेलावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
12. देवायुष सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह राजपूत, निवासी हनुवन्त निवास बाग—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश—7 नियम—1 जाप्ता दीवानी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

देवकरण गुर्जर

श्रीमान

1. दावा न्यायालय क्षेत्राधिकार में है।
2. निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।
3. अन्दर मियाद है।
4. दावा 2 प्रति में पेश है।
5. दावे के प्रत्येक पेज पर वादी गण के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी अंकित है।
6. नवीनतम ..... पेश है।
7. दावा बटवारा होने से सभी खातेदारे को पक्षकार बनाया गया है।

ह. रीडर/ लिपिक

11/11/24

Issue notice

12/11/24

श्रीमान् जी,

सेवामें वाद पत्र दो प्रतियो में निम्न प्रकार पेश है :–

1. यहकि आराजी हाल खसरा नं0–153 रकबा 1.6500 है0, कुल किता–1 कुल रकबा 1.6500 है0 वाकै ग्राम पीपलोद नाथू, देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में 14/33 हिस्सा वादी के नाम से तथा शेष हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 खाता सं0–19 संलग्न वाद पत्र है।
2. यहकि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी को काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है जिसमें वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है।
3. यहकि प्रतिवादीगण एक संगठित ताकतवर व झगडालू प्रवृति के व राजनैतिक पहूँच वाले व्यक्ति है जिन्होने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के वादी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण कार्य करना चाहते है और उसको उसकी भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका उनको कानूनन कोई अधिकार नहीं है।
4. यहकि दिनांक–09.11.2024 को वादी अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य कर रहा था तभी प्रतिवादीगण अपने साथ 10–15 व्यक्तियो को लेकर आये और निर्माण सामग्री बजरी, सीमेन्ट आदि वादी की भूमि पर डालकर वादी की भूमि में जबरन नींव खुदाई का कार्य करने लगे तो वादी ने उन्हे जबरन नींव नहीं खोदने व निर्माण सामग्री नहीं डालने हेतु मना किया और कहां कि उक्त भूमि से आपका कोई सम्बन्ध व हक अधिकार नहीं है तो आप इस भूमि नींव क्यो खोद रहे हो इतना सुनते ही प्रतिवादीगण एकदम से भडक गये और वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तब आसपास के काश्तकारो ने आकर वादी का प्रतिवादीगण से बीच बचाव करवाया और उन्हे समझा बुझाकर शांत किया किन्तु प्रतिवादी ने वादी को एलानिया धमकी दी है कि वे जल्द ही वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा काश्त नहीं

करने देगे इसलिये वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

5. यहकि यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे बिना किसी अधिकार के वादी की खातेदारी भूमि में जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माण कार्य करने व वादी को काश्त करने में मजाहमत पैदा करने में सफल हो जावेगे जिससे वादी को अकथनीय होगी जिसकी क्षतिपूर्ति करना किसी भी धनराशि में संभव नहीं होगी व पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

6. यहकि इस वाद के विवाद का कारण वाद पत्र की खण्ड सं0– 4 में वर्णित कारणो से उत्पन्न होकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी दिये जाने पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

7. यहकि वादी वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के पूर्ण अधिकारी है।

8. यहकि तरतीबी प्रतिवादीगण दावा दायरी के समय मौजूद नहीं होने के कारण दावा हाजा में शामिल नहीं हो इस कारण उन्हे तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया है।

9. यहकि प्रतिवादी सं0–10 भूमि धारक लोक सेवक होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा–80 (1) जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उक्त विधिक नोटिस दिया जाना संभव नहीं रहा है इस कारण वादी ने अलग से प्रार्थना पत्र धारा–80 (2) जाप्ता दीवानी का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0–2 को नोटिस दिये जाने से छुट प्राप्त कर उनके विरूद्ध दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

10. यहकि उभय पक्ष के व्यक्ति न्यायालय श्रीमान् के अधिनस्थ क्षैत्र में निवास करते है व विवादित भूमि न्यायालय श्रीमान् के अधिनस्थ क्षैत्र कस्बा जाजैकला

तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है इसलिये न्यायालय श्रीमान् को इस वाद के सुनने का अधिकार प्राप्त है।

11. यहकि हाजा पर निर्धारित न्यायालयशुल्क बाबत दावा स्थायी निषेधाज्ञा एक रूपया पर प्रस्तुत है।

12. यहकि वादी प्रार्थी है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में एक डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान करे कि :–

(क) यहकि प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी हाल खसरा नं0–153 रकबा 1.6500 है0, कुल किता–1 कुल रकबा 1.6500 है0 वाकै ग्राम पीपलोद नाथू, देवीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे बल्कि वादी को शांति पूर्वक रूप से उपयोग उपभोग करने देवे व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि या इसके किसी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं ना ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य ही करे बल्कि मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

(ख) यहकि वादी को प्रतिवादीगण से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

(ग) यहकि अन्य सहायता जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिलवाया जाना उचित हो वह वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में दिलवाया जावे।

दिनांक 11.11.2024

स्थान–शाहपुरा, जयपुर।

वादी

देवकरण पुत्र भगवाना, जाति गुर्जर, उम्र–वयस्क, निवासी पीलोद नाथू, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

सत्यापन

मैं उपरोक्त सत्यापनकर्ता सत्यापित करता हूँ, कि वाद पत्र के सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही व सत्य है, जिसे मैने अपने सलाह सलाहकार से तैयार करवाया कर पढवाकर, सुन व समझ लिया है, इस प्रकार कोई तथ्य वाद पत्र में मिथ्या अंकित नहीं है ईश्वर हमारा साक्षी है।

दिनांक 11.11.2024

स्थान–शाहपुरा (जयपुर)

सत्यापनकर्ता